भारत में एक देश एक चुनाव

आशुतोष कुमार[1] एवं जगदीशन ए के[2]

भारत एक संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक और गणतंत्र देश है। संविधान द्वारा कल्पना की गई लोकतंत्र की अवधारणा चुनाव के माध्यम से संसद और राज्य विधानमंडल में लोगों के प्रतिनिधित्व को स्वीकार करती है। वर्तमान में लोकसभा और प्रत्येक विधानसभा के चुनाव जिस चुनाव प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं, उसके कारण भारत में प्रति वर्ष लगभग पांच चुनाव होते हैं। 71 वें राष्ट्रीय संविधान दिवस के अवसर पर भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव न केवल एक मुद्दा है बल्कि भारत की आवश्यकता बन गया है, जो संसद, राज्य विधानसभाओं दोनों के साथ स्थानीय निकाय के भी एक चुनाव कराने की वकालत करता है। हालांकि यह कोई नई या अपरिचित अवधारणा नहीं है, क्योंकि भारत ने स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1952 से 1967 तक की अवधि में चुनाव की इसी अवधारणा का पालन किया, लेकिन कुछ राज्यों की विधानसभाओं के शीघ्र विघटन, राष्ट्रपति शासन लागू होने के परिणामस्वरूप नए राज्यों में, चुनाव चक्र बदल गया, जिसके परिणामस्वरूप पूरे देश में लगातार चुनाव हुए।

1983 में चुनाव आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में पूरे देश में एक चुनाव पर लौटने का विचार रखा गया था, विधि आयोग ने भी 1990 में दी गई धारणा की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डाला था। सरकार के संसदीय स्वरूप को समाप्त करने जैसे कई सुझाव प्रस्तावित किए गए थे। यह भी सिफारिश की गई थी कि बहुमत दल के नेता को पूरे सदन द्वारा पीएम या सीएम के रूप में चुना जा सकता है, जो सरकार में स्थिरता प्रदान करेगा और किसी भी सरकार के गिरने की स्थिति में पांच वर्ष के कार्यकाल के बाद चुनी गई नई सरकार शेष अवधि के लिए ही होगी, जैसा कि अमेरिका में प्रचलित सरकार द्वारा किया जाता है। साथ ही, राजनीतिक उतार-चढ़ाव के बावजूद सरकार के शासन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार के खिलाफ हर अविश्वास प्रस्ताव के बाद एक विश्वास प्रस्ताव होना चाहिए।

यह आसान नहीं है क्योंकि ऐसा लगता है कि इसमें कई संवैधानिक बाधाएं हैं जिनके लिए संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता है, मुख्य रूप से अनुच्छेद 83 जो लोकसभा के कार्यकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 85 जिसमें लोकसभा को भंग करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है, अनुच्छेद 172 जो राज्य विधान सभाओं के कार्यकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 174 जो राज्य विधान सभा को भंग करने के लिए राज्यपालों की शक्ति से संबंधित है और अनुच्छेद 356 जो राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन लगाने और ये संविधान की मूल संरचना में किए जाने वाले परिवर्तन से संबंधित हैं।

पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्री संगमा जी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया, जिसने निष्कर्ष निकाला कि देश बुनियादी ढांचे को बदलने और सरकार के अध्यक्षात्मक प्रणाली में जाने का जोखिम नहीं उठा सकता है और यहां तक कि अगर हम सरकार के अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाते हैं तो यह सीधे देश की संघीय संरचना को प्रभावित करेगा। इसके अलावा संसद और विधानसभा दोनों के लिए कार्यकाल की स्थिरता के प्रावधानों के निर्माण के लिए संबंधित अधिनियम में संशोधन की भी आवश्यकता होगी।

इसमें महत्वपूर्ण तत्व शामिल हैं:

- एक साथ चुनाव के लिए आवश्यक प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियों और कार्यों का पुनर्गठन।
- इस अधिनियम की धारा 2 के तहत एक साथ चुनाव की परिभाषा जोड़ी जा सकती है।

[1]भाकृअप - राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो
[2]भाकृअप- भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु

फिर भी, विभिन्न विधानसभाओं के चुनावों के बीच तालमेल बनाए रखना सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दा होगा।

नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने अपने शोध में संकेत दिया है कि 2019 के आम चुनाव में सभी राजनीतिक दलों का संयुक्त खर्च लगभग 50,000 करोड़ रुपये था, जबकि चुनाव आयोग के खर्च के साथ कुल चुनाव खर्च 60,000 करोड़ रुपए आता है जो भारत के वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक स्वास्थ्य बजट 62,659.12 करोड़ के बराबर था। इसके अलावा इस चुनाव में पर्याप्त मात्रा में जनशक्ति भी लगी हुई थी क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनावों में केवल 10,00,000 पुलिस अधिकारियों के साथ लगभग 2,60,000 अर्धसैनिक बल थे और लगभग 85 लाख पथ टाइमर जिन्होंने विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर कार्य किया जिन्हें भारत सरकार द्वारा नियोजित किया गया था। एक राष्ट्रीय चुनाव में प्रतिनियुक्त 1 करोड़ कर्मियों में से कई शिक्षक और सिविल सेवक होते हैं, जबकि स्कूल और विभाग कर्मचारियों की कमी की समस्या से हम सब अवगत हैं।

इस संबंध में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी उद्धृत करते हैं कि: चुनाव भारत में भ्रष्टाचार की मूल जड़ है।

इसकी झलक 2019 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में देखने को मिली है जहां चुनाव आयोग ने 1.3 अरब रुपये से अधिक की बेहिसाब नकदी, सोना, शराब और ड्रग्स जब्त किया है और कई राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार किया गया। यह भारत के लिए एक बार की घटना नहीं है क्योंकि विभिन्न विधानसभाओं के नियमित चुनाव में समान गड़बड़ी और बाधाएं दिखती हैं।

एक देश एक चुनाव की व्यवस्था भारत जैसे देश में एक आवश्यकता है, जिसको अपनाकर भ्रष्टाचार और काले धन के मुद्दे पर अंकुश लगाया जा सकता है और इससे निश्चित रूप से चुनाव खर्च में भारी कमी आएगी। पांच साल के अंतराल से एक देश में एक चुनाव का आयोजन चुनाव आयोग, सरकारी प्रशासन, सिविल सेवकों, पुलिस और सेना के लोगों के कंधों से काम का बोझ कम होगा जो संबंधित क्षेत्रों में उनकी दक्षता में सुधार करेगा और लोग अपने संबंधित नेता कार्यों और नीतियों की जांच करने में सक्षम होंगे।

इस प्रणाली से राजनेताओं को चुनाव प्रचार के बजाय शासन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में सुविधा होगी। साल भर में लगातार चुनाव सरकार की नीतियों को पंगु बना देते हैं और राष्ट्रों के समग्र विकास को कम कर देते हैं, एक चुनाव का विचार स्थिर सरकारी योजनाओं को पुनर्जीवित कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप देश का तेजी से विकास हो सकता है। जाति, धर्म और अन्य संवेदनशील मुद्दों पर आधारित झूठे राजनीतिक एजेंडे जो समाज के नागरिकों के बीच सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ते हैं, उन्हें कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है।

इससे मतदाता प्रतिशत में भी वृद्धि होगी क्योंकि प्रवासी श्रमिकों और अन्य नौकरी धारकों को केवल एक बार वोट डालने के लिए आना होगा क्योंकि तीनों चरणों के लिए मतदाता सूची में एकरूपता होगी । जबकि वर्तमान में लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की जाती है और स्थानीय निकायों या पंचायत चुनावों की सूची राज्य चुनाव आयोग द्वारा तैयार की जाती है। दो अलग-अलग सूची की उपस्थिति और तैयारी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों और कम पढ़े-लिखे मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा करती है।

आज 'एक देश, एक चुनाव' ने आम चुनाव के अविराम चक्र के आकर्षक आह्वान से आम जन की चिंतन धारा को उकसाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अलावा संसदीय स्थायी समिति, निर्वाचन आयोग, विधि आयोग और नीति आयोग जैसी प्रमुख संस्थाओं ने इस मामले में सकारात्मक्ता दिखाई है।और यह कुछ भी अभूतपूर्व नहीं। एक बार जब आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, तो यह राजनीतिक दलों से अधिक प्रशासनिक तंत्र होता है, जो आचार संहिता के गलत पक्ष पर पड़ने से सावधान रहता है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक नीति, परियोजनाएं और कल्याणकारी योजनाएं काफी हद तक जमी रहती हैं। चुनावों से पहले लिए गए निर्णय परिवर्तनकारी होने के बजाय

राजनीतिक रूप से सुरक्षित होते हैं, जिससे शासन ह्रास होता है।

चुनाव लोकतंत्र का त्यौहार तभी होता है जब वह एक बार आता है। बार-बार चुनाव कराने से मतदाताओं की थकान हो सकती है और मतदान प्रतिशत प्रभावित हो सकता है।

एक साथ चुनाव कराने के रास्ते को कवर करने के लिए कड़े संवैधानिक, कानूनी पहल के साथ तार्किक पक्ष भी हैं। ईसीआई ने इसके प्रबंधन के प्रयासों के संबंध में आवश्यक विश्वास व्यक्त किया है। चुनाव कानून संशोधन अधिनियम, 2021, जिसका उद्देश्य आधार प्रणाली का लाभ उठाकर और मतदाताओं के त्रैमासिक पंजीकरण को प्रभावी करके एक स्वच्छ और अद्यतन मतदाता सूची बनाना है, सही दिशा में एक कदम हो सकता है।

हालांकि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए छोटे और क्षेत्रीय दलों सहित सभी राजनीतिक दलों की सहमति की आवश्यकता होगी, जिनका मानना है कि स्थानीय मुद्दे फीके पड़ जाएंगे क्योंकि राष्ट्रीय दल मुख्य रूप से राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और इन छोटे राजनीतिक दलों का राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अखिल भारतीय चुनावी लहर के कारण, जो चुनाव के दौरान उत्पन्न हो सकती है, क्षेत्रीय दलों में संशय की स्थिति है। अध्ययन से पता चलता है कि 77% मतदाता तीनों चरणों यानी लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक ही पार्टी को वोट दे सकते हैं ।

दूसरी तरफ बार-बार होने वाले चुनावों से लोगों और राजनेताओं के बीच एक सार्वजनिक संपर्क होने से जवाबदेही और उत्तरदायित्व का बोध होता है। लेकिन एकल चुनाव नागरिकों के प्रति सरकार की जवाबदेही को कम कर सकता है। एक समय में सभी स्तर के चुनाव कराने से ईवीएम मशीनों और वीवीपीएटी की अधिक खरीद होगी, सरकारी खर्च बढ़ेगा और इन मशीनों के परिवहन, भंडारण और रखरखाव की लागत में भी वृद्धि होगी और इसे सफल बनाने के लिए एक सुव्यवस्थित बुनियादी ढांचा तैयार करने की भी जरूरत है, जिसके लिए भारत अभी तैयार नहीं है।

एक वैध चिंता, जो राज्य और स्थानीय समूहों से आने पर अधिक समझ में आती है, वह यह है कि संयुक्त चुनावों में, एक केंद्रीय आख्यान सीमांत आकांक्षाओं को अभिभूत कर सकता है जो लोकतंत्र के संघीय-ढांचे को चोट पहुंचा सकता है। यह बहुत सरल धारणा है। उपलब्ध साक्ष्य, निश्चित रूप से, स्पष्ट करते हैं कि एक साथ चुनावों में, लोग एक ही पार्टी के लिए दोनों बटन दबाते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, और यह जरूरी नहीं कि राष्ट्रीय संगठनों के लिए ही ऐसा हो। ओडिशा कुछ दिलचस्प संकेत देता है।

अतः अब आवश्यक है कि इस अति आवश्यक विषय पर सामान्य एवं राजनीतिक वाद-विवाद को विस्तार दिया जाए ताकि समस्याओं का कुशल एवं सर्वसम्मत समाधान निकाला जा सके तथा सभी प्रमुख एवं लघु राजनीतिक दलों, मीडिया एवं राष्ट्र की सहमति से नयी संकल्पनाओं को अपनाया जा सके। यह देश के विकास के पक्ष में और राष्ट्रीय हित में होगा और इससे संविधान की मूल संरचना सुदृढ़ और सशक्त होगी।

यह संसदीय और राजनीतिक कार्य है जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अवधि और विघटन तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के कुछ हिस्सों से निपटने वाले संवैधानिक प्रावधानों और संबंधित क़ानूनों में बदलाव के माध्यम से अपना स्वरूप ले पाएगी। विधानसभा कार्यकाल का विस्तार या कटौती एक आवश्यकता बन सकती है, और संभावित राजनीतिक व्यवधानों को बीच में रोकने के लिए कल्पनाशील प्रावधानों की आवश्यकता है। चुनावी संक्रमण काल को सरल करने के लिए वन-शॉट सिंक्रोनाइज़ेशन या चरणबद्ध रूप से लागू करने के ऊपर आम सहमति श्रेष्ठ निर्णय होगा।

राजनीति से मुद्दे को अलग करने के बाद एक साथ चुनाव कराने के लिए एक निष्पक्ष और उदार समझ की आवश्यकता होगी। जिसके लिए सीमित चर्चा पर्याप्त नहीं है। लेन-देन के साथ-साथ राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है । विषय की जटिलता को ध्यान में रखते हुए एक चुनाव को वास्तविकता बनाने के लिए सर्वसम्मति न केवल वांछनीय है, बल्कि यह एकमात्र विकल्प है।